

न्यायालय सिविल जज सी0 डि0/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कानपुर देहात।

वाद सं0-409/2009

CNR NO.- UPRN05-000478-2009

उपस्थित – श्री भगत सिंह, (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)

ID No.- UP- 2118

1. सोबरन सिंह, आयु लगभग 58 वर्ष, पुत्र शत्रुघ्न सिंह, निवासी ग्राम रनियाँ, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात।

.....वादी।

बनाम

1. संतोष सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष, पुत्र शत्रुघ्न सिंह, मृतक दौरान वाद तथा अब प्रतिनिधित्व

द्वारा-

1/1 राहुल, आयु लगभग 15 वर्ष,

½ राजन, आयु लगभग 12 वर्ष,

दोनो अवयस्क पुत्रगण स्व 0 संतोष सिंह, द्वारा माँ श्रीमती राधा बहैसियत वादार्थ संरक्षक, तथा

1/3 पुतान, आयु लगभग 19 वर्ष, पुत्री स्व 0 संतोष सिंह,

2. श्रीमती राधा, आयु लगभग 45 वर्ष, पत्नी संतोष सिंह,

सभी निवासीगण ग्राम रनियाँ, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात।

.....प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा विवादित सम्पत्ति मकान जिसकी सीमाये वाद पत्र के अन्त में दी गयी है , पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध आदेशात्मक व्यादेश तथा हर्जाना हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादी का कथन इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी सं01 आपस में सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं 2 प्रतिवादी सं0 1 की पत्नी है। वादी वादपत्र के अन्त में वर्णित की गयी सम्पत्ति स्थित ग्राम रनियाँ, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात, का स्वामी है। उपरोक्त संपत्ति प्रतिवादीगण के अवयस्क पुत्र राहुल सिंह के नाम की संपत्ति थी जिसे वादी ने पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 12.07.2006 जिसका निष्पादन प्रतिवादी सं0 01 द्वारा अपने अवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में जिला जज , कानपुर देहात द्वारा हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकत्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत किया गया था , से खरीदा था। यद्यपि विक्रयपत्र के निष्पादन और पंजीयन के समय सम्पत्ति का साँकेतिक कब्जा वादी को अवश्य प्राप्त हो गया था परन्तु उसका भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा रोक दिया गया था जो कि उक्त भाग में उक्त अवयस्क के माता-पिता/संरक्षक की हैसियत से पहले ही रहते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी से समय माँगते हुये उक्त संपत्ति को कुछ ही माह में खाली करने के लिये सहमत होते हुये वादी को आश्वस्त किया था। वादी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। यद्यपि प्रतिवादीगण ने अपने वचनों का सम्मान नहीं किया और वादग्रस्त संपत्ति को कोई न कोई बहाना बनाते हुये खाली नहीं किया। माह मार्च 2009 के द्वितीय सप्ताह में वादी ने प्रतिवादीगण से अंतिम रूप से वादग्रस्त संपत्ति का वास्तविक ओर भौतिक कब्जा प्रदान करने की माँग किया , जिसके लिये उन्होने वादी को आश्वस्त भी किया था , परन्तु उन्होने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्ततः वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 12.05.2009 तक संपत्ति के भौतिक कब्जा की माँग करते हुये कानूनी नोटिस भेजा जिसका कोई प्रभाव नहीं हुआ बल्कि खाली करने व कब्जा प्रदान करने से ही मना कर दिया है। वाद का कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण अपने वायदा के अनुसार कब्जा प्रदान करने में असफल रहे और विशिष्ट रूप से मार्च 2009 के द्वितीय सप्ताह में और अंतिम रूप से दिनांक 12.05.2009 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने अपने वायदा का सम्मान नहीं किया तथा वादग्रस्त मकान को खाली करके उसका भौतिक कब्जा नोटिस के बावजूद नहीं सौंपा। वादी ने न्यायालय से याचना की है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित करते हुये आदेशात्मक व्यादेश की डिक्री इस आशय की पारित की जाय कि वे बयनामा के अधीन रहते हुये नीचे वर्णित तथा सीमांकित वादग्रस्त संपत्ति को खाली करके उसका कब्जा व दखल वादी को सौंप दे तथा वादी के हक में 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से कब्जा प्रदान किये जाने की

तिथि तक हर्जा वसूली की डिक्री पारित की जाये।

सीमायें- पूरब- वादी सोबरन सिंह का मकान

पश्चिम- सोबरन सिंह, वादी, की दुकान व बाउन्ड्री

उत्तर- सरवन कुमार का मकान

दक्षिण- यादव जी का प्लाट

प्रतिवादिनी राधा द्वारा अपना जवाबदावा 33 क प्रस्तुत कर वादपत्र में अभिकथित तथ्यों से इन्कार करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण ने विक्रीत संपत्ति का कब्जा वादी को बयनामा दिनांक को ही प्रदान कर दिया था। वादी व मृतक प्रतिवादीगण सगे भाई थे और प्रतिवादी सं02 का वादी रिश्ते में जेठ लगता है प्रतिवादी सं0 1 विकलांग व्यक्ति था उसी का नाजायज फायदा उठाकर वादी उक्त प्रतिवादीगण को पैत्रिक संपत्ति जो कि विरासतन प्राप्त हुयी है को बदनियती से हड़पकर जाना चाहता है। प्रतिवादीगण वादी द्वारा माँगे गये उपशम की धारा ए में मांगा गया रिलीफ गैर कानूनी है, खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा अपना जवाबुज जवाबदावा 37 क प्रस्तुत कर जवाबदावा में अभिकथित तथ्यों से इन्कार करते हुये यह कथन किया गया है कि बैनामा दिनांक को वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति का केवल साँकेतिक एवं मालिकाना कब्जा ही प्रदान किया गया था और प्रतिवादीगण तथा मृतक प्रतिवादी सं 01 ने उसका भौतिक कब्जा, वादी की अनुमति से बनाये रखा था और विक्रयपत्र के पश्चात से उस पर उनका भौतिक कब्जा मात्र एक लाईसेंस के रूप में अनुशांसात्मक कब्जा ही था। वादी ने उसी संपत्ति के संबंध में वाद दाखिल किया है जो उसने मृतक प्रतिवादी सं01 से खरीदा था जिसने उक्त विक्रयपत्र का निष्पादन, अपने अवयस्क पुत्र जो उसका मालिक था, के लिये उसी की ओर से उसके संरक्षक के रूप में, जिला जज, कानपुर देहात से विधिवत प्राप्त अनुमति के अधीन, किया था।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं।

1. क्या वादी वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?
2. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

साक्ष्य

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 6 ग से 7 ग वादी अधिवक्ता की ओर से भेजी गयी नोटिस , 8 ग भेजी गयी नोटिस की डाक रसीद की फोटो कापी, सूची 28 ग से 29 ग रजिस्ट्रार कार्यालय में फीस जमा करने की रसीद दिनांक 14.06.2010 की छायाप्रति, 30 ग रजिस्ट्रार, अकबरपुर, कानपुर देहात को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2010 की छायाप्रति जिस पर रजिस्ट्रार कार्यालय की स्वीकृति भी अंकित है , सूची 111 ग से 112 ग दैनिक जागरण दिनांकित 04.09.2016 का पृष्ठ सं0 4 अखबार का मूलप्रति, सूची 122 ग से 123 ग न्यायालय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात द्वारा हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकत्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकीर्ण सं0-02/70 सन् 2005 संतोष सिंह बनाम सोबरन सिंह में पारित मकान विक्रय की अनुमति का आदेश दिनांकित 01.04.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि, 124 ग उपरोक्त वाद में अनुमति आदेश के अनुपालन में पूरी की गयी शर्तों से संतुष्ट होकर पत्रावली की दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिनांकित 23.11.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि, 125 ग 1 से 125 ग 25 वादग्रस्त संपत्ति का बयनामा दिनांकित 12.07.2006 की छायाप्रति दाखिल किया है।

वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र 51 क पी डब्लू 01 सोबरन सिंह, साक्ष्य शपथ पत्र 107 क पी डब्लू 02 श्रीमती उपमा सिंह उम्र 32 वर्ष पत्नी श्री सोनू सिंह निवासी ग्राम रनियाँ परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात, के रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 55 ग 1 से 56 ग एक किता बैनामा दिनांक 15.11.1996 की मूल प्रति (5 पेज), 57 ग एक किता पंजीकृत बैनामा दिनांक 17.02.1999 की मूलप्रति (5 पेज), 58 ग एक किता इकरारनामा दिनांकित 09.05.2006 की मूलप्रति दाखिल किया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विधि का सिद्धान्त है कि वादीगण को अपना वाद स्वयं साबित करना है। वह प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता।

न्यायालय द्वारा वादी के मौखिक बहस को सुना तथा वादी द्वारा लिखित बहस भी पत्रावली पर दाखिल की गयी। जबकि प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति के कारण उसकी ओर से बहस पत्रावली पर नहीं की गयी। पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-०२

वाद बिन्दु सं०-२ इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण दिनांक 21.10.2011 को न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है, जिसमें वादी ने प्रश्नगत संपत्ति का मूल्यांकन एक लाख रु० अवधारित करते हुये आज्ञापक व्यादेश हेतु 510 रु० न्यायाशुल्क के रूप में अदा किया है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावित नहीं किया है जो वादी द्वारा किये गये वादी के मूल्यांकन को अल्प तथा प्रदत्त न्यायाशुल्क को अपर्याप्त अवधारित करने के लिये न्यायालय को समर्थ बना सके। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित एवं प्रदत्त न्यायाशुल्क पर्याप्त पाते हुये यह विवाद्यक नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-०१

वाद बिन्दु सं०-१ इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वादी वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी द्वारा अपने वादपत्र के अभिवचनों द्वारा कथन किया गया है कि वादी तथा प्रतिवादी सं० ०१ आपस में सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी सं० २ प्रतिवादी सं० १ की पत्नी है। विवादित संपत्ति जिसकी सीमाये वाद पत्र के अन्त में दी गयी है का वादी सोबरन सिंह स्थित ग्राम रनियाँ, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात, का स्वामी है। उपरोक्त संपत्ति प्रतिवादीगण के अवयस्क पुत्र राहुल सिंह के नाम की संपत्ति थी जिसे वादी ने पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 12.07.2006 जिसका निष्पादन प्रतिवादी सं० ०१ द्वारा अपने अवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में जिला जज, कानपुर देहात द्वारा हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकत्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत किया गया था, से खरीदा था। बैनामा दिनांक को वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति का केवल साँकेतिक एवं मालिकाना कब्जा ही प्रदान किया गया था और प्रतिवादीगण तथा मृतक प्रतिवादी सं० १ ने उसका भौतिक कब्जा, वादी की अनुमति से बनाये रखा था और विक्रयपत्र के पश्चात से उस पर उनका भौतिक कब्जा मात्र एक लाईसेंस के रूप में अनुशंसात्मक कब्जा ही था, परन्तु उसका भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा रोक दिया गया था। प्रतिवादीगण ने वादी से समय माँगते हुये उक्त संपत्ति को कुछ ही माह में खाली करने के लिये सहमत होते हुये वादी को आश्वस्त किया था। माह मार्च 2009 के द्वितीय सप्ताह में वादी ने प्रतिवादीगण से अंतिम रूप से वादग्रस्त संपत्ति का वास्तविक ओर भौतिक कब्जा प्रदान करने की माँग किया तथा प्रतिवादीगण को दिनांक 12.05.2009 को नोटिस दिये जाने के बावजूद भी विक्रीत संपत्ति को खाली करने व उसका कब्जा वादी को सौंपने से इंकार कर दिया। जबकि इस संबंध में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा कागज सं० ०३३ क प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने विक्रीत संपत्ति का कब्जा वादी को बैनामा दिनांकित 12.07.2006 को ही प्रदान कर दिया था तथा वादी व मृतक प्रतिवादीगण सगे भाई थे और प्रतिवादी सं० २ का वादी रिश्ते में जेठ लगता है। वादी प्रतिवादीगण की पैत्रिक संपत्ति जो कि विरासतन प्राप्त हुयी है, को बदनियती से हड़पना चाहता है।

यद्यपि न्यायालय द्वारा इस पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 की वैधानिकता एवं प्रमाणिकता के संबंध में प्रस्तुत वाद में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना है फिर भी वाद के समुचित एवं प्रभावकारी न्यायनिर्णयन हेतु न्यायालय के मत में इस संबंध में इस पर कुछ प्रकाश डाला जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है। एक ओर वादी ने कथन किया है कि वाद मे प्रश्नगत संपत्ति की वसीयत वादी सोबरन सिंह व प्रतिवादी सं० १ सोबरन सिंह के पिता द्वारा अवयस्क प्रतिवादीगण सं० १/१ राहुल पुत्र स्व० संतोष सिंह के पक्ष में की गयी थी तथा इस

वसीयत की गयी संपत्ति को माननीय जिला जज कानपुर देहात की अनुमति कागज सं 0123 ग के उपरांत प्रतिवादी सं 0 1 द्वारा वादी को विक्रीत किया गया। वादी द्वारा अपने वादपत्र के अभिवचनों में प्रश्नगत संपत्ति की लम्बाई, चौड़ाई व क्षेत्रफल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि वादी द्वारा अपनी जिरह में कागज सं 0 66 क पर झगड़े वाली जमीन 90 फिट लम्बी और 35 फिट चौड़ी होने का कथन किया है तथा पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 कागज सं 0 125 ग में विक्रीत संपत्ति लम्बाई उत्तर-दक्षिण 61 फिट तथा चौड़ाई पूरब-पश्चिम 35 फिट होना दर्शित है। वादी ने अपनी जिरह में दिनांक 09.8.2012 को कागज सं 0 66 क पर कथन किया है कि - "झगड़े वाली जमीन को बेचने की आज्ञा जिला जज से ली थी। मैंने झगड़े वाली जमीन पूरे का बैनामा करवाया था। झगड़े वाली जमीन के सटे एक तरफ कालपी रोड है व दूसरी तरफ खेत थे अब छोटे-2 प्लॉट बन गये हैं। झगड़े वाली जमीन से लगा हुआ खेराबाद अस्पताल नहीं है बल्कि दूर है। मुझे नहीं मालूम की मेरे पिता की वसीयत में झगड़े वाली जमीन से लगा हुआ खेराबाद अस्पताल दिखाया गया है। मुझे नहीं मालूम की वसीयत में और मेरे बैनामा में अलग-अलग चौहददी लिखी है। यह कहना गलत है कि वसीयत में ज्यादा जमीन लिखी है और बैनामा में कम लिखी है। यह सही है कि मैंने अपने बैनामा झगड़े वाली जमीन के दो तरफ मैंने अपना मकान दिखाया है। यह सही है कि वसीयत में जमीन की चौहददी मेरा मकान नहीं दिखाया गया है।" तथा वादी ने अपनी जिरह में दिनांक 29.01.2013 को कागज सं 0 69 क पर कथन किया है कि - "कोर्ट की परमीशन वसीयत वाले प्लॉट के पूरे की नहीं थी बल्कि कम की थी।" तो वादी द्वारा जिरह में किये गये उक्त कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि वसीयत में कथित संपत्ति ही बैनामा दिनांकित 12.07.2006 द्वारा विक्रीत की गयी है तथा पत्रावली पर दाखिल अनुमति आदेश दिनांकित 01.04.2006, जिला जज कानपुर देहात, कागज सं 0 123 ग मे भी वसीयत में दर्शित संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया गया है। तथा बैनामा दिनांकित 12.07.2006 में विक्रीत संपत्ति तथा बैनामा में कथित की गयी संपत्ति स्थिति की स्पष्टीकरण हेतु न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांकित 23.05.1996 को आदेश दिनांकित 07.11.2019 के माध्यम से पत्रावली पर प्रस्तुत करने के आदेश किया गया लेकिन वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 129 ग प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष उक्त तथाकथित वसीयत दिनांकित 23.05.1996 को प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की गयी तथा उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर ही निर्णय पारित करने की याचना की गयी। वादी द्वारा अपनी जिरह में कागज सं 0 69 क पर किये गये कथन कि - "कोर्ट की परमीशन वसीयत वाले प्लॉट के पूरे की नहीं थी बल्कि कम की थी।" से यह बात भी स्पष्ट होती है कि वादी के कथनानुसार कथित वसीयत दिनांकित 23.05.1996 से प्रतिवादी सं 0 1/1 राहुल कुमार को जो भी संपत्ति प्राप्त हुयी उस संपत्ति के संपूर्ण भाग को बेचने की अनुमति न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं की गयी तथा यह भी स्पष्ट होता है कि उस तथाकथित वसीयत में से विक्रीत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 के अलावा भी शेष संपत्ति प्रतिवादीगण सं 0 1/1 राहुल कुमार के पास शेष रही। न्यायालय के मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पंजीकृत बैनामा की वैधानिकता एवं प्रामाणिकता भी संदेह से परे नहीं है। चूकि बैनामा दिनांकित 12.07.2006 एक पंजीकृत विलेख है तथा जब तक इस पंजीकृत विक्रय विलेख को अन्यथा किसी प्रकार सिद्ध न कर दिया जाय तब तक इस पंजीकृत विक्रय विलेख की वैधानिकता एवं प्रामाणिकता को इस प्रस्तुत वाद में सही माने जाने की उपधारणा की जायेगी तो भी इसके द्वारा कथित विक्रीत संपत्ति का कब्जा दखल तो प्रतिवादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर वादी को बैनामा किये जाने के दिनांक 12.07.2006 को ही प्रदान कर दिया गया था तथा प्रतिवादीगण का यह कथन पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 के विक्रय विलेख से भी सिद्ध होता है, जो कि वाद का आधार भी है, जिसकी सत्यापित छायाप्रति कागज सं 0 125 ग/1 से 125 ग/25 वादी द्वारा दाखिल की गयी है। पत्रावली पर दाखिल पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 के कागज सं 0 125 ग/5 पर भी यह अंकित है कि - "विक्रीत प्लॉट पर क्रेता का कब्जा व दखल आज से ही करा दिया है क्रेता विक्रीत आवासीय प्लॉट का मालिक, काबिज व दखील हो गया।" जिससे स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादीगण ने बैनामा के दिनांक को ही विक्रीत संपत्ति का कब्जा व दखल वादी को प्राप्त करा दिया था।

विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि मौखिक साक्ष्य की अभिलेखीय /दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रधानता नहीं हो सकती है। Section 92 of Indian Evidence Act, 1872- Exclusion of evidence of oral agreement- provides that-

“When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, as between the parties to any such instrument or their representative-in-interest, for purpose of contradicting, varying, adding to, or sub-stracting from, its terms:

proviso (1)- Any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto; such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration, or mistake in fact or law.

Proviso (2)- The existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent, and which is not inconsistent with its terms, may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the Court shall have regard to the degree of formality of the document.

Proviso (3)- The existence of any separate oral agreement, constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property, may be proved.

Proviso (4)- The existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property, may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing, or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents.

Proviso (5)- Any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description, may be proved.

Provided that the annexing of such incidents would not be repugnant to, or inconsistent with the express terms of the contract.

Proviso (6)- Any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts.

अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा- 92 यह प्राविधानित करती है कि किसी अभिलेखीय दस्तावेज के पक्षकारों या उनके हित -प्रतिनिधियों के बीच कोई मौखिक करार या कथन का कोई साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिये ग्रहण न किया जायेगा। जब तक की वह कथन इस धारा में दिये गये **परन्तुक- 1 लगायत 6** के प्राविधान की परिधि में न आ जाये।

पत्रावली पर वादी द्वारा कोई भी ऐसा अभिलेखीय दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उसको बैनामा दिनांकित 12.07.2006 के माध्यम से विक्रीत संपत्ति का कब्जा व दखल प्रतिवादीगण द्वारा तत्काल प्रदान नहीं किया गया था तथा उसके इस मौखिक कथन को कि उसको भौतिक कब्जा व दखल तत्काल प्रदान नहीं किया गया था तथा बैनामा द्वारा विक्रीत संपत्ति को खाली करने व कब्जा व दखल प्रदान करने के लिये प्रतिवादी द्वारा कुछ समय चाहा गया था, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 में पक्षकारों द्वारा कब्जा व दखल प्रदान किये जाने व लिये जाने का कथन अंकित है। जिसके प्रत्येक कथन के सही व उचित होने की उपधारणा की

जायेगी। अतः उक्त पंजीकृत अभिलेखीय दस्तावेज में अंकित उक्त कथन का वादी द्वारा अपने मौखिक कथन द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता है और न ही वादी का यह मौखिक कथन धारा 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत दिये गये किसी भी परन्तुक 1 लगायत 6 के प्राविधान के अंतर्गत ही आता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को पंजीकृत बैनामा दिनांकित 12.07.2006 के माध्यम से विक्रीत संपत्ति का कब्जा व दखल बैनामा किये जाने के दिनांक को ही प्रदान कर दिया गया था तथा वादी को वाद का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं था। तथा वादी का यह कथन कि उसको उपरोक्त विक्रीत संपत्ति का कब्जा प्रदान नहीं किया गया था, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः मेरे मत में वादी को प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में ही प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा व दखल प्राप्त कराये जाने के कारण तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण, वादी पुनः किसी प्रकार का कोई कब्जा व दखल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः वादबिन्दु सं0 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0-03

वाद बिन्दु सं0-3 इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

वाद बिन्दु सं0 1- क्या वादी वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है, में दी गयी विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर वाद बिन्दु सं0 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया है। अतः उक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर वादी प्रस्तुत वाद में चाहे गये किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादबिन्दु सं0 3 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः न तो वादी प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध आदेशात्मक व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है और न ही हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-23.12.2019

श्री भगत सिंह
सिविल जज (सी0 डि0)/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कानपुर देहात

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-23.12.2019

श्री भगत सिंह
सिविल जज (सी0 डि0)/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कानपुर देहात